



# Subharti Medical College

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. U.12012/69/96-ME(P)  
Website: medical.subharti.org, e-mail: medical@subharti.org, Ph.: 0121-3055000 (Exin: 2118), Telefax: 0121-2439127, 2439067



A constituent college of

## SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2006 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)

पत्रांक:- एस.एम.सी / जी / एम-60 / 4065

दिनांक:-10-02-2025

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
लखनऊ। (उत्तर प्रदेश)

विषय: नीट पी०जी० 2024-25 के शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदया,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या एम०ई०/2025/337 दिनांक 10 फरवरी 2025 के सम्बन्ध में, अपने पूर्व पत्र सं० एस.एम.सी.जी / एम-60 / 4053 दिनांक 08.02.2025 के क्रम में, आपको अवगत कराना है कि एन०ट०मी, फिजीयोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, गार्डक्रोबायोलॉजी एवं कम्प्यूनिटी मेडिसिन विषयों में शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के परिपेक्ष में लिया जाने वाले शुल्क निम्न प्रकार से हैं:-

क्र०सं०	विषय	वार्षिक शिक्षण शुल्क	वर्षिक स्टाईपेन्ड में समायोजित	लिया जाने वाला शुल्क	अन्य वित्ति शुल्क प्रति वर्ष
1.	एम०डी० एन०ट०मी	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-
2.	एम०डी० फिजियोलॉजी	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-
3.	एम०डी० बायोकेमिस्ट्री	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-
4.	एम०डी० गार्डक्रोबायोलॉजी	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-
5.	एम०डी० फार्माकोलॉजी	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-
6.	एम०डी० कम्प्यूनिटी मेडिसिन	8,64,000/-	8,64,000/-	0	रुपये 50,000/-

आपकी सूचनार्थ मुख्य बिन्दु:-

- उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी से लिया जाने वाला सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क, अभ्यर्थी को दिए जाने वाले स्टाईपेन्ड में समायोजित कर दिया गया है, अतः प्रवेश के समय अभ्यर्थी से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना है।
- निवेदन है कि प्रवेश के समय सारिणी में वर्णित विविध शुल्क जोकि शासन द्वारा निर्धारित रु० 1,28,400/- प्रति वर्ष के स्थान पर सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रबन्धन द्वारा मात्र रु० 60,000/- कर दिया गया है, को नोडल सेन्टर पर लिए जाने का अनुरोध हमारे द्वारा अपने पूर्व पत्र में किया गया था। हम स्वीकार करते हैं कि शासनादेश के अनुसार अन्य विविध शुल्क सामान्यतः महाविद्यालय द्वारा लिए जाने की व्यवस्था है। इस विषय में आप महोदया द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमें मान्य होगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य हो कि सम्पूर्ण वार्षिक शिक्षण शुल्क को स्टाईपेन्ड के साथ समायोजित करने के उपरान्त भी अभ्यर्थियों को 30,000 रु० प्रतिमाह स्टाईपेन्ड दिया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन अभ्यर्थियों को उक्त विषयों में काउंसलिंग में सीट आवंटित की गई है उनसे शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के स्थान पर शून्य शिक्षण शुल्क लेकर प्रवेश देने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय

(डॉ० प्रदीप भारती गुप्ता)  
प्राचार्य एवं डीन  
सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ।